सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन

2014-15

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान

परिचय

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध एवं उचित दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 1987 में कम्प्यूटर निदेशालय के नाम से एक शीर्षस्थ संस्था स्थापित की। तत्पश्चात आदेश संख्या प027(2)मंमं/1997 दिनांक 30 सितम्बर, 1997 द्वारा विभाग का नाम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग किया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या प027(1)मंमं/2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा इसके कार्य क्षेत्र के अनुरूप इस संस्था का नाम सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (Department of Information Technology & Communication- DoIT&C) कर दिया गया।

इसी दिशा में वर्ष 1989 में राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट कम्प्यूटर सर्विसेज़ – राजकॉम्प (Rajasthan State Computer Services- RajComp) नामक उपक्रम की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूचना प्राद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में प्रशिक्षण, राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग एवं राजकॉम्प स्वतन्त्र रूप से या आपसी समन्वय से राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी

एवं संचार योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। विभागीय आदेश संख्या प5(119)/सू. प्रौ./विभाग/10/2429 दिनांक 19.10.2010 द्वारा राजकॉम्प का नाम राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड कर दिया गया।

मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या प027(1)मंमं/2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के कार्यविधि नियमों में संशोधन किया गया। संशोधित कार्यविधि नियम निम्न प्रकार से है :–

1 राजस्थान में कम्प्यूटरीकरण के लिये नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना। सरकारी विभागों और संगठनों में कम्प्यूटर, दूरसंचार और आधुनिक कार्यालय उपकरणों के प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा करना, उन्हें प्रोत्साहित करना एवं उनका प्रचार करना।

2 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार के विकास और प्रयोग से संबंधित सभी पहलुओं पर नीतियों का निरूपण करना:

(क) समग्र निर्देश और मागदर्शन करना।

(ख) विभागों के कम्प्यूटरीकरण के लिये नीति और उनके क्रियान्वयन को मॉनिटर करना।

(ग) सरकार में प्रयुक्त होने वाली समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकी की पहचान करना।

(घ) बैंण्ड विड्थ की उपलब्धता और उत्तम गुणवत्तायुक्त ध्वनि तथा आँकडा प्रेषण सुविधाओं का निर्धारण करना।

(ड़) दूरसंचार के प्रसार के लिये विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टरनेट सुविधाओं के लिये नीति बनाना।

(च) राज्य के लिये अपेक्षित दूरसंचार प्रौद्योगिकी के मानकीकरण के लिये नीति बनाना

(छ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में विनिमय के प्रयोजनार्थ प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिये युक्ति तैयार करना।

(ज) स्थानीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।

(झ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इन्टरनेट सुरक्षा नीति।

(ण) नीति निरूपण एवं क्रियान्वयन के लिए उपर्युक्त संगठनात्मक संरचना सृजित करना, और

(ट) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार परियोजनाओं की वित्त घोषणा के लिए नीति बनाना।

3 सरकार की सभी एजेन्सियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार अवसंरचना के सृजन और सुदृढ़ीकरण के मामले में समन्वय करना।

4 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए इलेक्ट्रानिक गवर्नेन्स का सूत्रपात करना :

(क) राजस्थान राज्य में ई–गवर्नेन्स का समन्वय और समग्र डिज़ाइन ।

(ख) सभी सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार परियोजनाओं में सिटिज़न इन्टरफेस को प्रोत्साहित करना।

(ग) राज्य में ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं के क्रियान्वयन का परिवेक्षण करना।

(घ) आँकड़ा संकलन, समेकन और प्रसार के लिए मानक सांकेतिक शब्दों के विकास का समन्वय करना ।

(ड़) सम्पूर्ण राज्य में इन्टरनेट और ई–कामर्स को प्रोत्साहन देना।

(च) उपध्यता (Feasibility) रिपोर्ट की तैयारी के लिए राज्य की एजेन्सीयों को तकनीकी सलाह प्रदान करना।

(छ) व्यवहार अनुकूल और मानक कम्प्यूटर हार्डवेयर अनुप्रयोज्य साफ्टवेयर संचार डिवाइस/प्रोटोकॉल के चयन, उपार्जन, स्थापन और क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सलाह देना।

(ज) विभिन्न विभागों में ऑफिस ओटोमेशन का क्रियान्वयन।

(झ) सरकारी विभागों/निधिप्रदत्त एजेन्सियों/बी.ओ.ओ.टी या बी.ओ.ओ. परियोजनाओं द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की प्रगति का पुनरावलोकन, और

(ण) सरकारी विभागों के दैनिक प्रशासनिक कार्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के प्रयोग को मॉनीटर करना ।

5 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए विनिधान को प्रोत्साहन देना

(क) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार क्षेत्र मे विनिधान के लिए प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिए युक्ति तैयार करना।

(ख) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार उद्योग को प्रोत्साहन देना।

(ग) कम्प्यूटरीकरण के लिए नए क्षेत्रों का विकास करना।

(घ) ऐसी नई प्रौद्योगिकी को प्रौत्साहित करना जो जीवन स्तर को उन्नत करें, और

(ड) सूचना प्रौद्योगिकी सामर्थ्ययुक्त सेवाओं को प्रोत्साहन देना।

6 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार अवसंरचना का स्थापन

(क) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का संस्थापन ।

(ख) ग्रामस्तर तक ब्रोडबैंण्ड डिजिटल संबन्धता के स्थापन को सुकर बनाना।

(ग) राज्य में दूरसंचार अवसंरचना के सुधार के लिए डी.ओ.टी./वी.एस. एन.एल./बी.एस.एन.एल. या अन्य सार्वजनिक/निजि क्षेत्र की एजेन्सीयों के साथ समन्वय करना, और

(घ) समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकीं की पहचान करना और सरकार/उद्योग/सार्वजनिक क्षेत्रों विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त करना।

7 उच्च गुणवत्ता की कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

8 कम्प्यूटर और इन्टरनेट के प्रति जागरूकता और उसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों (Refresher-Course)/सेमिनारों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों की व्यवस्था और समन्वय करना। महत्वपूर्ण साहित्यों और नियमावलियों को प्रकाशित करना और उन्हें वितरित करना।

9 सभी सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार संगठनों का समन्वय यथा एन.आई.सी.

इलेक्ट्रानिक साफ्टवेयर प्रयोजन काऊन्सिल, नास्कॉम का सूचना प्रौद्योगिकी और संचार से सम्बन्धित भारत सरकार के विभागों के साथ समन्वय।

10 विभाग के नियन्त्रण के अधीन कम्प्यूटर एवं संचार वृतियों की भर्ती और संवर्ग प्रबन्धन।

11 कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग को आबंटित मामलों से भिन्न सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन के अधिकारियों और कर्मचारियों से सम्बन्धित स्थापन के समस्त मामले ।

12 प्रशासनिक विभाग की भूमिका में कम्प्यूटर विशेषज्ञों की नियुक्ति एवं संवर्ग व्यवस्था नियंत्रित करना।

13 इस विभाग के अन्तर्गत दो एजेन्सियां कार्यरत हैः–

- <u>राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड</u> :– वर्ष 1989 में राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट कम्प्यूटर सर्विसेज़ – राजकॉम्प (Rajasthan State Computer Services- Raj Comp) नामक उपक्रम की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूचना प्राद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में प्रशिक्षण, राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग एवं राजकॉम्प स्वतन्त्र रूप से या आपसी समन्वय से राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। विभागीय आदेश संख्या प5(119)/सू.प्रौ./विभाग/10/2429 दिनांक 19.10.2010 द्वारा राजकॉम्प का नाम राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड कर दिया गया।
- <u>राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड</u> :– शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजिटल डिवाईड़ को मिटाने हेतु राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन की स्थापना कर दी गई है। आर.के.सी.एल. का 'RS-CIT' पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस पाठ्यक्रम के लिये राज्य कर्मचारियों को शुल्क पुनर्भरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

प्रशासनिक तंत्र

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत समस्त संवर्गों का पुनर्गठन किए जाने के पश्चात राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के विभिन्न संवर्गों में विभागीय स्तर पर पदों की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है: –

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)	रिक्त पद
1.	तकनीकी निदेशक	2	2	0
2.	अतिरिक्त निदेशक	6	0	6
3.	ओ.एस.डी.(टेलीकॉम)	1	1	0
4.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	24	15	9
5.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	158	104	54
6.	प्रोग्रामर	511	315	196
7.	सहायक प्रोग्रामर	255	148	107
8.	सूचना सहायक	6156	4553	1603
	कुल	**7113**	**5138**	**1975**

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग स्वीकृत पद/कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची

31 December 2014

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)	रिक्त पद
1.	आयुक्त, आई.ए.एस	1	0	1
2.	तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव	1	1	0
3.	अतिरिक्त निदेशक	4	3	1
4.	विशेषाधिकारी (टेलीकॉम)	1	1	0
5.	वित्तीय सलाहकार	1	1	0
6.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	7	7	0

7.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	22	22	0
8.	लेखाधिकारी	1	1	0
9.	प्रोग्रामर	30	30	0
10.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।	1	1	0
11.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	1	–	1
12.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	–	1
13.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।।	2	1	1
14.	प्रशासनिक अधिकारी	2	1	1
15.	कनिष्ठ लेखाकार	3	1	2
16.	निजी सचिव	1	1	0
17.	वरिष्ठ निजी सहायक	1	1	0
18.	निजी सहायक	1	1	0
19.	सहायक प्रोग्रामर	22	22	0
20.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	2	2	0
21.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0
22.	सूचना सहायक	19	19	0
23.	क्लर्क ग्रेड–।	3	3	0
24.	क्लर्क ग्रेड–।।	10	7	3
25.	वाहन चालक	2	1	1
26.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	13	10	3
	कुल	**153**	**138**	**15**

जिला कलक्टर कार्यालय

(माहः दिसम्बर, 2014)

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)
1.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	33	33
2.	प्रोग्रामर	33	33
3.	सहायक प्रोग्रामर	33	32
4.	लेखाकार	33	14

ब्लॉक / तहसील मुख्यालय

(माहः दिसम्बर, 2014)

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)
1.	प्रोग्रामर (ब्लॉक मुख्यालय हेतु)	248	136
2.	सूचना सहायक (तहसील मुख्यालय हेतु)	287	280

1. यू.आई.डी. प्रोजेक्ट के तहत स्वीकृत पद (समयावधि तक)

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)	रिक्त पद
1.	ओ.एस.डी.	1	0	1
2.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	1	1	0
3.	अतिरिक्त निदेशक	1	1	0
4.	अतिरिक्त निदेशक–कम–वित्तीय सलाहकार	1	1	0
5.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	1	1	0
6.	प्रोजेक्ट आफिसर	2	1	1
7.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–1	1	1	0
8.	सूचना सहायक	2	2	0
9.	कनिष्ठ लिपिक	1	0	1
10.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	0	3
	कुल	**14**	**8**	**6**

2. भारत सरकार द्वारा केपिसीटी बिल्डिंग योजना के तहत स्वीकृत कन्सलटेन्ट (समयावधि तक)

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)	रिक्त पद
1.	प्रिन्सीपल कन्सलटेन्ट	1	1	0
2.	सीनीयर कन्सलटेन्ट	4	4	0
3.	कन्सलटेन्ट	8	7	1
	कुल	**13**	**12**	**1**

नीतिगत पहल

- उच्च तकनीक के वर्तमान युग में स्मार्ट फोन, आई पैड, टैबलेट पी.सी इत्यादि के माध्यम से ईटरनेट, ई–मेल इत्यादि का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस परीपेक्ष्य में समस्त सरकारी भवनों में दिन प्रतिदिन सरकारी कार्य हेतु आने वाले आगंतुकों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये वाई–फाई हॉटस्पॉट की सुविधा सचिवालय के 192 स्थानों पर तथा अन्य सरकारी भवनों के 323 स्थानों पर स्थापित कर दी गयी है।

  सूचना प्रौद्योगिकी एवं संबंधित तकनीक से जनता को बेहतर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने, शिकायत निवारण, कार्यालय संचालन, मोबाईल तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग का विकास करने के उद्देश्य से राज्य की नवीन सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2015 तैयार की जा रही है।

- **UID (आधार)** – भारत सरकार की 'आधार' परियोजना के अतंर्गत समस्त नागरिकों को एक बारह अंक का नम्बर दिया जायेगा जो कि उनकी पहचान संख्या कहलायेगा। इसका उपयोग कर देश के नागरिकों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे समस्त लाभ एवं परिलाभ तथा सेवायें बेहतर उपलब्ध करायी जा सकेगी। आधार परियोजना हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राज्य पंजीयक है। राज्य के 4.40 करोड़ नागरिकों को अभी तक नामांकित किया जा चुका है तथा शेष पंजीकरण जारी है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की महत्त्वपूर्ण परियोजनाऐं

- राजस्थान सम्पर्क– यह सामान्य जन की शिकायतों और सुझावों के निवारण का एकीकृत मंच है। इस परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों जैसेः–केन्द्रीय एकीकृत शिकायत निवारण सॉफ्टवेयर–राजसम्पर्क पोर्टल,नागरिक सम्पर्क केन्द्र (कॉलसेन्टर) एवं राजस्थान सम्पर्क केन्द्र के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इस पोर्टल के माध्यम से जन सुनवाई, मुख्यमंत्री यात्रा और

अन्य यथासम्भव जन सम्पर्क माध्यमों का समावेश किया जायेगा, जिससे एक ही मंच पर उनकी समस्याओं के लिए त्वरित निराकरण मिल सके। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल www.sampark.rajasthan.gov.in के माध्यम से क्रियान्वित कर दिया गया है।

- जन समस्या निवारण की सुविधा को Rajasthan V.C. के माध्यम से पंचायत समिति स्तर तक बढ़ाने के क्रम में पंचायत समिति स्तर तक अटल सेवा केन्द्रों पर राजस्थान सम्पर्क आई.टी. केन्द्र क्रियाशील कर दिये गये है।

- **GIS**– राज्य सरकार ने सम्पूर्ण राज्य के लिए एक ही GIS प्लेटफार्म तैयार करने कीयोजना तैयार की है जिससे कि वरिष्ठ स्तर पर नीति निर्धारकों के साथ ही नागरिकों तथा सरकारी कर्मियों को आवश्यक सूचना नियमित रूप में उपलब्ध होने के साथ–साथ संबंधित नक्शे पर चिन्हित रूप में भी प्राप्त हो सके। इसके अन्तर्गत geo-spatial सूचनाओं के संग्रहण, वितरण एवं सूचनाओं के उपयोग में सुधार हेतु वेब आधारित एकीकृत प्लेटफार्म स्थापित किया जायेगा। साथ ही विभाग के विशिष्ठ वेब नक्शे, वेब एप्लीकेशन, मोबाईल एप्लीकेशन भी इस तंत्र पर उपलब्ध करवाये जायेगें। राज्य के लिए एक ही GIS platform तैयार कर वर्तमान में राजस्थान के स्मारकों एवं ऐतिहासिक भवनों के लिये 3D Modelling का कार्य किया जा रहा

है जिसके अन्तर्गत जंतर मंतर एवं अल्बर्ट हाल की 3D Modelling पर कार्य कर लिया गया है। Medical & Health एवं Education Department के लिये GIS Platform तैयार कर लिया गया है। साथ ही जन सामान्य के उपयोग हेतु भी GIS सुविधा तैयार कर ली गयी है।

- **एकीकृत कॉल सेंटर (Citizen Contact Centre)** –इस सेवा के माध्यम से टोल फ्री नंबर 1800–180–6127 पर कॉल कर जनता 20 विभागों से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकती है। यह सेंटर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक कार्य करता है। बिजली, पानी, जेडीए, चिकित्सा, मनरेगा, वाणिज्यिक कर और कृषि के कॉल सेंटर इसी

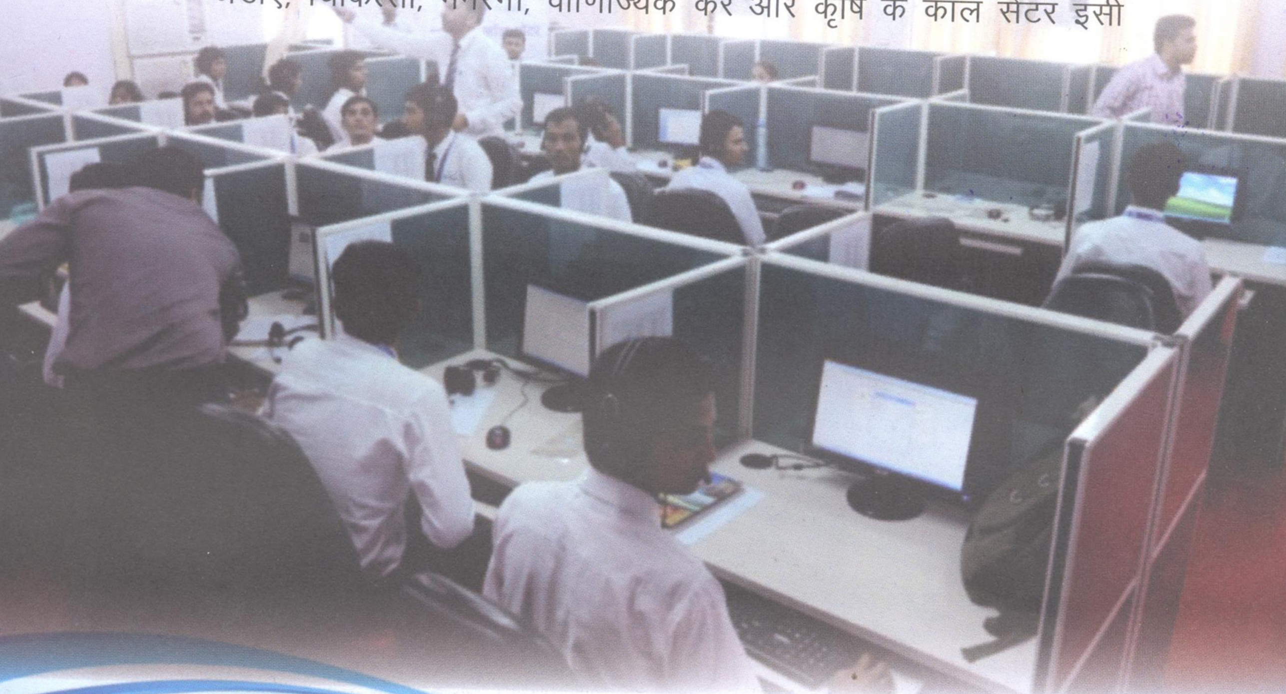

एकीकृत केन्द्र से जोड़ दिए गये हैं। इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास, परिवहन, श्रम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, उद्योग, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान लोक सेवा आयोग, खाद्य–नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, रोजगार सेवा और अल्पसंख्यक मामलात विभाग भी CCC से जोड़ दिये गये हैं। प्रतिदिन लगभग 3500 कॉल, CCC के माध्यम से प्राप्त किये जा रहे हैं।

- **ई–मित्र–** प्रदेश मे ई–गवर्नेस के माध्यम से नागरिकोन्मुखी गवर्नेस क्रियान्वित करने के सरकार के उद्देश्य की पूर्ति, सरकारी सुविधाओं तथा विकास योजनाओं का लाभ अपने निकटतम एक ही स्थान से आम आदमी तक पहुँचाने एवं ई–गवर्नेंस सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु राज्य में लगभग 11000+ e-Mitra कियोस्क के माध्यम से नागरिकों को सरकारी एवं निजी क्षेत्र की लगभग 107 सेवायें तथा सूचनायें इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध करवायी जा रही है। साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से

बिजली, पानी एवं मोबाइल के बिल जमा कराने की सुविधा भी प्रारम्भ कर दी गयी है। ई–मित्र पोर्टल केन्द्रों पर प्रति माह लगभग 20 लाख ट्रांज़ेक्शन होते हैं तथा लगभग रू. 250 करोड़ राजस्व एकत्रित होता है।

- **डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र** – सम्पूर्ण राज्य में घर बैठे ही इन्टरनेट के माध्यम से/एकल खिड़की/कियोस्क के माध्यम से वैधिक मान्यता प्राप्त डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र उपलब्ध करवाने कि प्रणाली की शुरूआत की गई। इस प्रणाली के अन्तर्गत मुख्यतः मूल निवास, जाति, आय तथा हैसियत प्रमाण–पत्र जारी किये जा रहे हैं। प्रतिमाह लगभग 1.5 लाख डिजिटल प्रमाण–पत्र जारी किये जा रहे हैं। अन्य सभी प्रकार के प्रमाण–पत्र, अनुज्ञप्ति इत्यादि भी डिजिटली हस्ताक्षरित रूप से उपलब्ध करवाये जायेगें। इस प्रकार के प्रमाण–पत्र लेने हेतु नागरिकों को ऑन लाईन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

- राजस्थान सरकार प्रदेश के दूरस्थ इलाकों तक सरकार एवं प्रदेश की जनता के मध्य सुलभ संवाद स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। इस हेतु सूचना प्रौद्योगिकी और संचार तकनीक का उपयोग करते हुए दूरस्थ स्थानों पर प्रशासन की मजबूत पकड करने हेतु प्रदेश के सभी जिलों एवं संभागीय मुख्यालयों को कम्प्यूटर आधारित तंत्र के माध्यम से जोड़ने की घोषणा की गयी थी। इसी योजना का विकास करते हुए, सरकारी विभागों के मध्य सूचना तंत्र स्थापित करने के अंतर्गत राज्य के लगभग 3094 सरकारी भवनों में स्थित 3829 कार्यालयों में 5414 कार्मिक आर एस वेन के माध्यम से तथा 161 भवन सेकलेन के माध्यम से आपसमें एक दूसरे से इंटरनेट तकनीक का उपयोग करते हुये जुडे हुये है।

- इस परियोजना को बढ़ाते हुए RajNET परियोजना द्वारा प्रदेश की समस्त ग्रम पंचायतो को जोडने एवं समस्त जिला स्तरीय कार्यालयों में आई.पी. फोन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- **ई ऑफिस**– सरकारी विभागों में डाक तथा पत्रावलियों के सुचारू निष्पादन तथा प्रबोधन हेतु सचिवालय के 59 विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं मूल्यांकन विभाग में ई–ऑफिस तंत्र प्रारम्भ कर दिया गया है।

- **e-Procurement** – राजकीय विभागों/स्वायत्तशासी निकायों/राज्याधीन निकायों से विभिन्न सामग्रियों के क्रय में पारदर्शिता स्थापित करने एवं समयबद्धता से काम करने के उद्देश्य से, रूपये 50 लाख से अधिक की निविदाओं के लिए इस परियोजना को क्रियान्वित किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिये इस सीमा को कम कर रूपये 25.00 लाख कर दिया गया है।

  ई–प्रोक्योरमैंट एप्लीकेशन (eproc.rajasthan.gov.in) को जनवरी, 2014 से

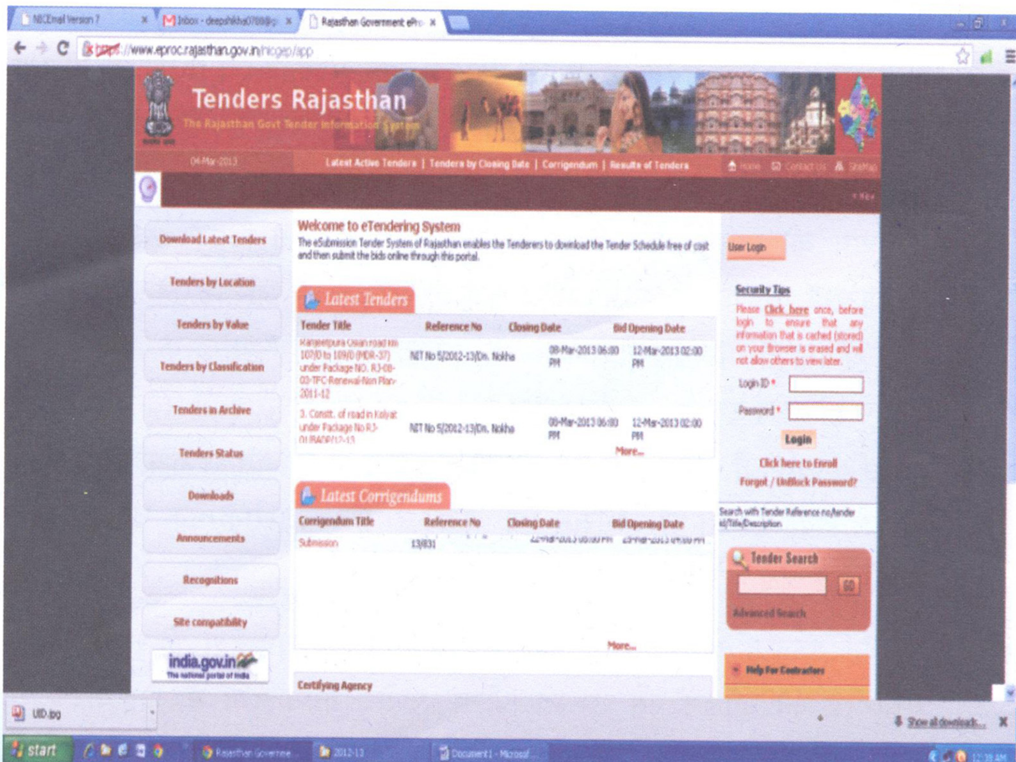

दिसम्बर, 2014 तक राजस्थान के 105 विभागों में क्रियान्वित कर दिया गया है तथा लगभग रू. 41629.51 करोड़ लागत की 9101 निविदायें इस तंत्र के माध्यम से आमंत्रित की गई है एवं इस पोर्टल के लिये 104 सरकारी कर्मचारियों एवं 24 फर्मों के निविदा दाताओं को प्रशिक्षण दे दिया गया है।

- <u>**स्टेट पोर्टल**</u>ः– राज्य सरकार के समस्त विभागों की वेबसाईट / ऐप्लीकेशन में उपलब्ध सूचनाओं, संरचना एवं डिजाईन के तरीकों में एकरुपता लाने हेतु राज्य स्तर पर एक ही पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है। इस पोर्टल पर समस्त विभागों की सूचनाएँ उपलब्ध होंगी। यह पोर्टल राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाईट "राज–दर्पण" (www.rajasthan.gov.in) के रुप में कार्य करेगा।

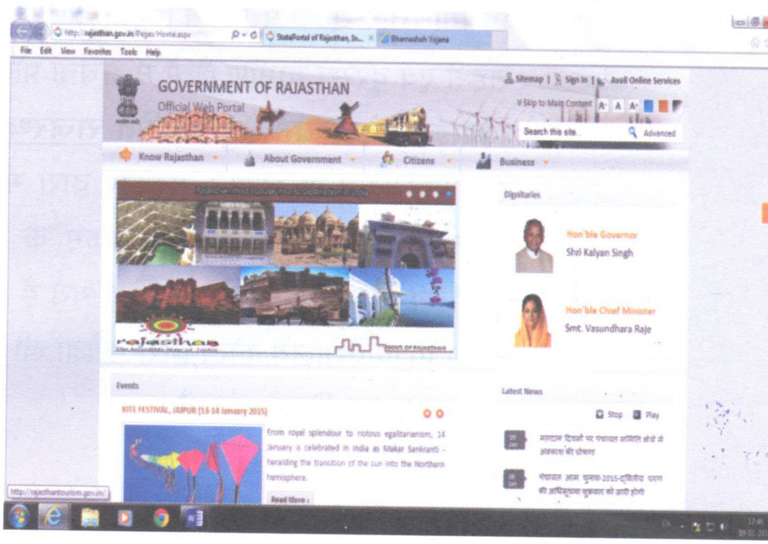

राज्य सरकार के समस्त विभागों की मुख्य सूचनाएँ इस पोर्टल पर उपलब्ध होने के साथ–साथ समस्त राजकीय विभागों / उपक्रमों की वेबसाईट के लिंक भी स्टेट–पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे अर्थात् उदाहरण के लिए कॉलेज शिक्षा विभाग की वेबसाईट देखने का इच्छुक व्यक्ति स्टेट पोर्टल से ही कॉलेज शिक्षा विभाग की वेबसाईट पर जा सकेगा।

<u>मानव संसाधन विकास</u>

- सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण– मानव संसाधन विकास विभिन्न विभागों में किये जा रहे कम्प्यूटरीकरण की सफलता सुनिश्चित करने के लिये कम्प्यूटर में दक्ष मानव संसाधन का विकास अतिआवश्यक है। विभाग द्वारा

इस हेतु निरंतर किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश भर में कुल 30841 सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर दिया गया है।

- सरकारी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसके अनुसार जो सरकारी कर्मचारी **इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय** द्वारा एम.सी.ए., बी.सी.ए. एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेता है उसका नियमानुसार शुल्क पुनर्भरण किया जाता है।
- शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रोद्यौगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजीटल डिवाईड़ को मिटाने हेतु स्थापित **राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन** का 'RS-CIT' पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस पाठ्यक्रम के लिये राज्य कर्मचारियों को शुल्क पुनर्भरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं। प्रशिक्षण उपरान्त वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा द्वारा परीक्षा ली जाती है एवं उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाता है।

वर्ष 2014–15 के वित्तीय लक्ष्य तथा माह दिसम्बर, 2014 तक व्यय

S.No.	Project	State Share	Central Share	Addl. Allotment	Total	Exp. Upto 31.12.2014
1	IT& DoIT	8916.34	10100.00	3.10	19019.44	6619.58
2	UID Under TFC	12141.00	0.00	0.00	12141.00	0.00
3	NEGP	2732.24	2866.00	-3.10	5595.14	4101.34
	Total	**23789.58**	**12966.00**	**0.00**	**36755.58**	**10720.92**

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
फोन : 0141-2224855 फैक्स : 0141-2222011
http://www.rajasthan.gov.in,
http://www.doitc.rajasthan.gov.in

Rajasthan State Co-op. Press Ltd., Jaipur 0141-2751417